राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	507/2020 दोगानासिंह / राजेन्द्र हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/12/20	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करें। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 474/223 व 422/223 के सन्दर्भ में तहसीलदार से विस्तृत मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर गुणावगुण पर पुनः निर्णय किये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को दिये गये थे, जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार से मौका रिपोर्ट आ चुकी है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का संज्ञान लेकर कोई आग्रिम आदेश पारित नहीं कर एकपक्षीय पूर्व में पारित आदेश को यथावत कायम रखा गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। अतः आदेश और अपील की क्रियान्विति स्थगित रखी जावे। हमने बहस अभिभाषक अपीलार्थी पर गौर किया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया। अपील के साथ प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04/9/2020 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर	225

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

दीपनासिंह | महेन्द्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/7/2020	474/223 व 422/223 के सम्बन्ध मे तहसीलदार से विस्तृत मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्षो की सुनवाई की जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को दिये गये थे। इस सन्दर्भ मे अपील पत्रावली मे संलग्न प्रमाणित प्रतिलिपी बाबत् तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्षो की समुचित सुनवाई कर तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का संज्ञान लेकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। अतः आदेश और अपील मे इस अपील के माध्यम् से कोई हस्तक्षेप किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का संज्ञान लेकर 30 दिवस की अवधि मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण आवश्यक रूप से करे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	22/5